वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 26.06.12

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा वितीय वर्ष 2012-13 के लिये प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी किये जाने वाले रूपये 450.00 करोड़ के असंपरिवर्तनीय बंधपत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम किया जायेगा और 0.25 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

[एफ-2(15)वित/कर/10-13]
राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
डॉ. रविकुमार एस.
शासन उप सचिव

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 26.06.12

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा, उसकी बोर्ड बैठक दिनांक 02.04.2012 मे किये गये विनिश्चय संख्या 31/2012 के अनुसरण में, जारी किये जाने वाले 500.00 करोड़ रुपये के बंधपत्रो पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी।

[एफ-2(54)वित/कर/07-14]
राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
डॉ. रविकुमार एस.
शासन उप सचिव

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 26.06.12

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान के महामहिम राज्यपाल और रीको के नाम से जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, उसकी 10वीं बोर्ड बैठक में किये गये विनिश्चय के अनुसरण में आवंटित/जारी किये जाने वाले रूपये 145,77,98,000.00 (एक सौ पैंतालीस करोड़ सततहत्तर लाख और अठानवे हजार मात्र) के शेयर प्रमाण-पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी।

[एफ-2(45)वित/कर/09-15]
राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
डॉ. रविकुमार एस.
शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर-भवन" अजमेर

क्रमांकः एफ-7(40)जन/11-12/ पार्ट-I/ 7331-7766 दिनांकः 11/07/12

उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक प.2(15)वित/कर/10-13 दिनांक 26.6.12, क्रमांक प.2(54)वित/कर/07-14 दिनांक 26.6.12 एवं क्रमांक प.2(45)वित/कर/09-15 दिनांक 26.6.12 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1- शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2- सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3- समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5- पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त-भवन, जयपुर ।
7- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8- उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9- अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10- समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11- समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
12- मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
13- उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14- उप निदेशक (कम्प्युटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15- समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16- निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17- समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक एफ–7(109)जन/11–12/6896–7250 दिनांकः 11/07/12

समस्त उप–पंजीयकगण
राजस्थान।

विषयः– मुख्त्यारनामा आम पर अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी की राशि के समायोजन के संबंध में।
प्रसंगः– उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग का पत्र क्रमांक प.2(17) वित्त/कर/2011 दिनांक 27.06.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्त्यारनामा आम पर अदा की गई स्टाम्प शुल्क की राशि के समायोजन मे अधीनस्थ कार्यालय द्वारा यह जानकारी विभाग से चाही गई कि ऐसी पॉवर ऑफ अटॅार्नी जो अपूर्ण मुद्रांक पर निष्पादित है उसके आधार पर दस्तावेज पंजीयन हेतू प्रस्तुत होने पर राजस्थान अधिनियम 1998 की धारा 54 के तहत कमी मद्रांक की राशि उप पंजीयक के स्तर पर जमा करने के पश्चात क्या उक्त राशि का पुनः समायोजन हस्तांतरण पत्र मे किया जा सकता है अथवा नही ?

इस बिन्दु पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया। राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक पत्र क्रमांक प.2(17) वित्त/कर/2011 दिनांक 27.06.2012 प्रेषित कर निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया गया :–

" राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 44(ई)(ii) में स्टाम्प ड्यूटी के समायोजन का प्रावधान यह मानते हुए किया गया है कि जिस पावर ऑफ अटॅार्नी पर दी गई स्टाम्प ड्यूटी समायोजित होनी है, वह वैध रूप से मुद्रांकित दस्तावेज होगा। दूसरे यह है कि समायोजन शब्द का अर्थ ही तब है जब पावर ऑफ अटॅार्नी पर उसके निष्पादन के समय ही स्टाम्प ड्यूटी दे दी गई हो। तीसरे धारा 17, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के प्रावधान भी पाबन्द करते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान निष्पादन की दिनांक को ही होना आवश्यक है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 17 के अनुसार मुद्रांकित पावर ऑफ अटॅार्नी के आधार पर निष्पादित कन्वेन्स डीड के मामले में ही स्टाम्प ड्यूटी के समायोजन का लाभ देय है।"

अतः भविष्य मे वित्त विभाग द्वारा दिये गये उपरोक्त मार्गदर्शन के विधिक प्रावधानो को ध्यान मे रखते हुए मुख्तयारनामा आम पर अदा की गई मुद्रांक राशि का समायोजन हस्तांतरण पत्रों में करे।

भवदीय,

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक एफ-7(109)जन/11-12/7251-7330 दिनांकः 11/07/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2- सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3- **समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।**
4- **वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।**
5- पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त-भवन, जयपुर ।
7- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8- उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9- अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10- समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11- मुख्य विधि **सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयम एवं पदेम कलक्टर** (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12- उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13- उप निदेशक (कम्प्युटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14- समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15- निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16- समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

भवदीय

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर